

परिशिष्ट
प्रपत्र संख्या "क-1"
विवाह निबंधन के लिये आवेदन
(बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 के अधीन)
[देखें नियम 5 (1)]

वर-वधू का फोटोग्राफ

सेवा में :

विवाह निबंधक

कृपया हमारा विवाह निबंधज करें जिसका विवरण नीचे दिये गये हैं :-

क्रम सं०	विवरण	वर	वधू
1.	नाम		
2.	उम्र		
3.	पिता का नाम		
4.	माता का नाम		
5.	विवाह की तारीख को हैसियत	अविवाहित / विदुर / तलाकशुदा / विवाहित	अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा
6.	पता		

7. विवाह (प्रतिष्ठान) सम्पन्न होने की तारीख स्थान

8. घोषणा :-

(1) मैं वर (वधू) ने अपनी रीति/वैयक्तिक नियम/विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन दिनांक को (स्थान) में विवाह किया है एवं तब से हम पति-पत्नी के रूप में साथ-साथ रह रहे हैं।

(2) हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त विवरण सही है।

वधू का हस्ताक्षर

वर का हस्ताक्षर

वधू पक्ष के गवाह का हस्ताक्षर

वर पक्ष के गवाह का हस्ताक्षर

आवेदन सं० / (पंचायत/प्रखण्ड/जिला का नाम) तिथि
(वार्ड/शहर/जिला का नाम)

प्रेषणित किया जाता है कि श्री पिता

एवं श्रीमती सुपुत्री

ने (स्थान) एवं दिनांक को सम्पन्न ,

उनके विवाह के निबंधन के लिए आवेदन किया है ।

बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 के अधीन संधारित इस पंचायत/वार्ड मामले/गद की विवाह पंजी में निबंधन संख्या दिनांक से निबंधज किया गया है ।

अध्यक्ष

इसके मामले को मार्गदर्शन के लिए उप विवाह निबंधक को प्रेषित किया गया ।

विवाह निबंधक

कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,
प्रखंड विकास पदाधिकारी,

.....

विषय : कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

मैं श्रीमती ने दिनांक को श्री के साथ विवाह किया। मुझे कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत 5,000/- / 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। आवश्यक वांछित विवरण / कागजात निम्नांकित है--

1. आवेदिका का नाम
2. आवेदिका के पिता का नाम
3. आवेदिका के माता का नाम
4. आवेदिका के पति का नाम
5. आवेदिका की उम्र
6. आवेदिका के पति का उम्र
7. पति के पिता का नाम
8. पत्राचार का पता—ग्राम / मुहल्ला पंचायत / वार्ड नं०
डाकघर नगर प्रखंड
..... थाना अनुमंडल
जिला
9. स्थाई पता—ग्राम / मुहल्ला पंचायत / वार्ड नं० डाकघर
..... नगर प्रखंड थाना
..... अनुमंडल जिला

अनुलग्नक :-

1. आय प्रमाण पत्र 2. निवास प्रमाण पत्र 3. विवाह निबंधन प्रमाण पत्र 4. दहेज नहीं देने संबंधी शपथ पत्र

दिनांक आवेदिका का हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

(कार्यालय उपयोग हेतु)

रसीद

श्री / श्रीमती ग्राम / मुहल्ला

.....

डाकघर थाना जिला से

दिनांक को कन्या विवाह योजना के लाभ हेतु आवेदन प्राप्त किया।

दिनांक

(आवेदन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर)

पात्रता :-

A. 1. कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी हों ।

2. विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो ।

3. पुनर्विवाह का मामला न हो, परन्तु विवाह अधिनियमों के अन्तर्गत वधू पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान देय होगा । विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जायेगा ।

4. विवाह को विधिवत निबंधन कराया गया हो ।

5. दहेज नहीं देने की घोषणा की गई हो ।

6. कन्या विवाह योजना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के वैसे परिवार लाभार्थी होंगे जिनकी वार्षिक आय 60,000 (साठ हजार रुपये) से कम हो ।

7. इस योजना का लाभ मंत्री परिषद की स्वीकृति की तिथि अर्थात् दिनांक 22-11-2007 के पश्चात सम्पन्न विवाह के लिए देय होगा ।

B. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक कागजात :-

1. संबंधित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र

2. आवास से संबंधित कोई प्रमाण पत्र यथा पासपोर्ट / भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र या अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का निर्गत आवास प्रमाण पत्र

3. सक्षम पदाधिकारी द्वारा विवाह का निबंधन किए जाने का प्रमाण पत्र

4. दहेज नहीं देने संबंधी शपथ पत्र

(नोट :- जिन आवेदिकाओं के माता पिता का नाम ग्रामीण विकास विभाग के गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) की प्रकाशित सूची में होगी उन्हें प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है । केवल गरीबी रेखा की प्रकाशित सूची के संगत अंश की छाया प्रति संलग्न करना यथेष्ट होगा ।)

कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,
प्रखंड विकास पदाधिकारी,

.....

विषय : कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

मैं श्रीमती ने दिनांक को श्री के साथ विवाह किया। मुझे कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत 5,000/- / 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। आवश्यक वांछित विवरण / कागजात निम्नांकित है--

1. आवेदिका का नाम
2. आवेदिका के पिता का नाम
3. आवेदिका के माता का नाम
4. आवेदिका के पति का नाम
5. आवेदिका की उम्र
6. आवेदिका के पति का उम्र
7. पति के पिता का नाम
8. पत्राचार का पता—ग्राम / मुहल्ला पंचायत / वार्ड नं०
डाकघर नगर प्रखंड
..... थाना अनुमंडल
जिला
9. स्थाई पता—ग्राम / मुहल्ला पंचायत / वार्ड नं० डाकघर
..... नगर प्रखंड थाना
..... अनुमंडल जिला

अनुलग्नक :-

1. आय प्रमाण पत्र 2. निवास प्रमाण पत्र 3. विवाह निबंधन प्रमाण पत्र 4. दहेज नहीं देने संबंधी शपथ पत्र

दिनांक आवेदिका का हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

(कार्यालय उपयोग हेतु)

रसीद

श्री / श्रीमती ग्राम / मुहल्ला

.....

डाकघर थाना जिला से

दिनांक को कन्या विवाह योजना के लाभ हेतु आवेदन प्राप्त किया।

दिनांक

(आवेदन प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर)

पात्रता :-

A. 1. कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी हों ।

2. विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो ।

3. पुनर्विवाह का मामला न हो, परन्तु विवाह अधिनियमों के अन्तर्गत वधू पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान देय होगा । विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जायेगा ।

4. विवाह को विधिवत निबंधन कराया गया हो ।

5. दहेज नहीं देने की घोषणा की गई हो ।

6. कन्या विवाह योजना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के वैसे परिवार लाभार्थी होंगे जिनकी वार्षिक आय 60,000 (साठ हजार रुपये) से कम हो ।

7. इस योजना का लाभ मंत्री परिषद की स्वीकृति की तिथि अर्थात् दिनांक 22-11-2007 के पश्चात सम्पन्न विवाह के लिए देय होगा ।

B. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक कागजात :-

1. संबंधित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र

2. आवास से संबंधित कोई प्रमाण पत्र यथा पासपोर्ट / भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र या अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का निर्गत आवास प्रमाण पत्र

3. सक्षम पदाधिकारी द्वारा विवाह का निबंधन किए जाने का प्रमाण पत्र

4. दहेज नहीं देने संबंधी शपथ पत्र

(नोट :- जिन आवेदिकाओं के माता पिता का नाम ग्रामीण विकास विभाग के गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) की प्रकाशित सूची में होगी उन्हें प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है । केवल गरीबी रेखा की प्रकाशित सूची के संगत अंश की छाया प्रति संलग्न करना यथेष्ट होगा ।)

प्रपत्र- “ख”

कन्या विवाह योजना हेतु संधारित पंजी का प्रपत्र

1. आवेदिका का नाम.....
2. आवेदिका के पति का नाम.....
3. आवेदिका के पिता का नाम.....
4. आवेदिका की माता का नाम.....
5. आवेदिका का स्थाई पता - ग्राम / मुहल्ला.....
पंचायत / वार्ड नं..... डाकघर..... नगर.....
प्रखंड..... थाना.....
अनुमंडल..... जिला.....
6. आवेदन की तिथि.....
7. स्वीकृति की तिथि.....
8. भुगतान की तिथि.....
9. अभ्युक्ति.....

कन्या विवाह योजना हेतु

मैं पिता माता
उम्र प्रखंड पंचायत ग्राम
वार्ड संख्या पोस्ट थाना अनुमण्डल
जिला राज्य का स्थायी निवासी हूँ ।

शपथ पूर्वक निम्न बातों की घोषणा करती हूँ कि जो पूर्ण जानकारी में सत्य व सही है:—

1. यह कि मेरी शादी दिनांक को श्री उम्र
पिता माता ग्राम
पोस्ट थाना जिला के साथ
संपन्न हो गया।
2. यह कि मेरी उम्र तथा पति का उम्र है ।
3. यह कि मेरा पुनर्विवाह नहीं है ।
4. यह कि विवाह का विधिवत निबंधन कराया है । प्रमाण पत्र संलग्न है ।
5. यह कि उक्त शादी में मेरे माता-पिता के द्वारा किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया गया है तथा भविष्य में भी नहीं दिया जायेगा ।
6. यह कि मैं बी. पी. एल. परिवार से हूँ । पूर्व में मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिला है ।
7. यह कि मैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु यह शपथ कर रही हूँ ।

मैं पिता घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त लिखी गयी बातें सत्य
हैं । असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध नियम संगति कारवाई की जाये ।

दिनांक पहचानकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर आवेदिका का हस्ताक्षर
स्थान मोबाईल नं० मोबाईल नं०

प्रपत्र-ख

क्रमांक.....

दिनांक.....

विवाह निबंधन प्रमाण पत्र

(बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 के अधीन)
देखें नियम-8

आवेदन सं०...../(ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या/प्रखण्ड/शहर) बिहार

निबंधन संख्या.....

दिनांक.....

एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (वर).....

पिता.....ग्राम/मुहल्ला.....

..... एवं

श्रीमती (वधु).....पिता.....

निवासी.....का

(स्थान).....दिनांक..... को

सम्पन्न हुए विवाह को इस कार्यालय में संशारित विवाह निबंधन पंजी में निबंधित किया जाता है ।

विवाह उप महानिबंधक के मार्ग-निर्देश पर आधारित है ।

(हस्ताक्षर)

विवाह निबंधक

(मुहर)